

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद सं० 84 वर्ष 2024-25

आवेदक- राजकपूर रविदास

क्रेता- रेनू देवी

ग्राम- होसिर

ग्राम- होसिर

थाना- गोमिया

जिला-बोकारो

थाना- गोमिया

जिला-बोकारो

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की ग
कार्रवाई के बारे
टिप्पणी तारीख व
03

आदेश

यह वाद आवेदक-राजकपूर रविदास, पिता-स्व० बूटन रविदास, वर्तमान निवास ग्राम+पो०-होसिर, थाना-गोमिया, जिला-बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
होसिर	123	412	743	14 डी०	07 डी०	रैयती धान खेत I & II , वर्तमान स्वरूप परती
			743	14 डी०	07 डी०	
			743	14 डी०	07 डी०	
			744	21 डी०	02 डी०	

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 4,76,000/- (चार लाख छिहत्तर हजार) रुपये में क्रेता-रेनू देवी पति-मुकेश रविदास वर्तमान निवास ग्राम+पो०-होसिर, थाना-गोमिया, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 668/रा०, दिनांक 25.03.2025 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक-799, दिनांक-22.04.2025 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों की जाति चमार है जो अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला-बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में शीरी चौधरी कौम पटवा के नाम से दर्ज है तथा सरकारी अभिलेख पंजी-11 के पृष्ठ सं०-45 एवं 47, भौलुम सं०-16 पर राज कपुर रविदास एवं गणेश देवी के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2003-04 से 2024-25 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायाम होने का आधार दाखिल-खारिज केश सं० 659/2001-02 एवं 24/2002-03 प्राधिकार कॉलम में दर्ज है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिक्रेता का नीज एवं माता का संबंध है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा में है।
04. प्रस्तावित भूमि भू-हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है। उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में शीरी चौधरी कौम पटवा के नाम से दर्ज है तथा सरकारी अभिलेख पंजी-11 के पृष्ठ सं०-45 एवं 47, भौलुम सं०-16 पर राज कपुर

M

रविदास एवं गणेशी देवी के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2003-04 से 2024-25 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता- खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता- आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता की जाति चमार है जो अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो केवाला घरेलु बँटवारा के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक-राजकपूर रविदास, पिता-स्व० बूटन रविदास, वर्तमान निवास ग्राम+पो०-होसिर, थाना-गोमिया, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि:-

मौजा	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द० सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
होसिर 123	412	743	14 डी०	07 डी०	भींड वो रास्ता आठ फीट	नीज लेख्यकारी	रूबी देवी	बिलवा देवी
		743	14 डी०	07 डी०				
		743	14 डी०	07 डी०				
		744	21 डी०	02 डी०				
कुल				23 डी० (तेइस डिसमिल जमीन मात्र)				

मो० 4,76,000/- (चार लाख छिहत्तर हजार) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता-रेनू देवी पति-मुकेश रविदास वर्तमान निवास ग्राम+पो०-होसिर, थाना-गोमिया, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।